



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022023-243326
CG-DL-E-01022023-243326

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 1, 2023/माघ 12, 1944

No. 62]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2023/MAGHA 12, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2023

सं. 02/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 67(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 50/2017 सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो संख्यांक सा.का.नि. 785 (अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

I. सारणी में, -

(1) क्रम सं. 16 के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी”;

(2) क्रम सं. 26क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“26ख.	0802 99 00	पेकान नट्स	30%	-	”;

(3) क्रम सं. 54 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“54क.	1504 20	अक्वाटिक फीड विनिर्माण में उपयोग के लिए मत्स्य लिपिड तेल	15%	-	9”;

(4) क्रम सं.81 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“81क.	1520 00 00	एपिक्लोरोहाइड्रिन के विनिर्माण में उपयोग के लिए कच्चा ग्लिसरीन	2.5%	-	9”;

(5) क्रम सं.100 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“100क.	2102 20 00	अक्वाटिक फीड विनिर्माण में उपयोग के लिए शैवालीयप्राइम (आटा)	15%	-	9”;

(6) क्रम सं. 104क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“104ख.	2207 20 00	औद्योगिक रसायनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए डीनेचर्डइथाइल एल्कोहल	शून्य	-	9
104ग.	2301 20	अक्वाटिक फीड विनिर्माण में उपयोग के लिए फिश मील	5%	-	9
104घ.	2301 20	अक्वाटिक फीड विनिर्माण में उपयोग के लिए क्रिल मील	5%	-	9
104ड.	2309 90 90	अक्वाटिक फीड विनिर्माण में उपयोग के लिए पूर्व मिश्रित विटामिन और मिनरल	5%	-	9”;

(7) क्रम सं.132 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“132क.	2529 22 00	एसिड ग्रेड फ्लोरस्पार जिसमें भार के आधार पर 97% से अधिककैल्शियम फ्लोराइड हो	2.5%	-	”;

(8) क्रम सं.. 141 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(9) क्रम सं. 141ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(10) क्रम सं. 166 के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2025 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी”;

(11) क्रम सं. 167 के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2025 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी”;

(12) क्रम सं. 168 के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2025 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी”;

(13) क्रम सं. 237 के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी”;

(14) क्रम सं. 280 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् : -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“280क.	4011 30 00	क्रम सं. 279 और क्रम सं. 280 के अधीन आने वाले मालों से भिन्न सभी माल	2.5%	-	-”;

(15) क्रम सं. 325 के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी”;

(16) क्रम सं. 340 के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी”;

(17) क्रम सं. 341 के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2025 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी”;

(18) क्रम सं. 341क के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2025 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी”;

(19) क्रम सं. 345क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् : -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“345ख.	7102, 7104	प्रयोगशाला में बने रफ हीरों के विनिर्माण में उपयोग के लिए बीज परंतु इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कोई बात 1 फरवरी, 2025 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।	शून्य	-	9”;

(20) क्रम सं. 354 के सामने, स्तंभ (4) में, “11.85%” प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(21) क्रम सं. 355 के सामने, स्तंभ (4) में, “6.1%” प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(22) क्रम सं. 356 के सामने, स्तंभ (4) में, दोनों स्थानों पर “12.5%” प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(23) क्रम सं. 357 के सामने, स्तंभ (4) में, “7.5%” प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

- (24) क्रम सं. 357क के सामने, स्तंभ (4) में, “12.5%” प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (25) क्रम सं. 357ख के सामने, स्तंभ (4) में, “7.5%”, प्रविष्टि के स्थान पर “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (26) क्रम सं. 364ख के सामने, स्तंभ (2) में, “7107 00 00, 7109 00 00, 7111 00 00, 7112, 7118” प्रविष्टियों के स्थान पर, “7107 00 00, 7109 00 00, 7110 11 10, 7110 11 19, 7110 19 00, 7110 21 00, 7110 29 00, 711041 00, 7110 49 00, 7111 00 00, 7112, 7118” प्रविष्टियां रखी जाएंगी;
- (27) क्रम सं. 368 के सामने, स्तंभ (3) में, “2023” अंकों के स्थान पर, “2024” अंक रखे जाएंगे ;
- (28) क्रम सं. 374 के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् “परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी”;
- (29) क्रम सं. 375 के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् “परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी”;
- (30) क्रम सं. 405 के सामने, स्तंभ (3) में, “2023”, अंकों के स्थान पर, “2025” अंक रखे जाएंगे ;
- (31) क्रम सं. 406 के सामने, स्तंभ (3) में, “2023”, अंकों के स्थान पर, “2025” अंक रखे जाएंगे ;
- (32) क्रम सं. 489क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“489कक.	8516 80 00	टैरिफ मद 8414 60 00 के अधीन आने वाले विद्युत किचन चिमनी के विनिर्माण में उपयोग के लिए हीट काँयल	15%	-	9”;

- (33) क्रम सं. 515ख के सामने, स्तंभ (4) में “5%” प्रविष्टि के स्थान पर, “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (34) क्रम सं. 526 के सामने, स्तंभ (4) में, “30%” और “60%” प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः, “35%” और “70%” प्रविष्टियां रखी जाएंगी;
- (35) क्रम सं. 526क के सामने, स्तंभ (4) में, “30%” और “60%” प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः “35%” और “70%” प्रविष्टियां रखी जाएंगी;
- (36) क्रम सं. 527क के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी”;
- (37) क्रम सं. 527ख के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी”;
- (38) क्रम सं. 532 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"532क.	39,40,58,70,72 73,83,84,85, 87,90	सूची 36 में विनिर्दिष्ट यानों, ऑटोमोबाइल पुर्जों/संघटकों, उप प्रणाली और टायरों का जब सूची 37 में विनिर्दिष्ट परीक्षण एजेंसियों द्वारा परीक्षण और/या प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए आयात किया जाता है।	शून्य	-	113";

(39) क्रम सं. 543 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"543क.	8802 20 00, 8802 30 00, 8802 40 00	क्रम सं. 537, क्रम सं.540, क्रम सं.542 और क्रम सं.543 के अधीन आने वाले मालों से भिन्न सभी माल	2.5%	-	-";

(40) क्रम सं. 559 के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2025 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी";

(41) क्रम सं. 609 के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2028 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी";

II. परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि क्रम संख्याओं 17, 80क, 90, 104, 133, 139, 150, 155, 164, 165, 172, 183, 184, 188, 191, 204, 212क, 213, 238, 253, 254, 255, 257, 257क, 257ख, 257ग, 258, 259, 260, 261, 265, 269, 271, 276, 277क, 279, 280, 290, 292, 293क, 296क, 326, 329, 333, 334, 339, 345क, 353, 364क, 378, 379, 380, 381, 387, 392, 415, 415क, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 426, 428, 429, 435, 441, 442, 446, 451, 462, 463, 464, 464क, 467, 468, 471, 472, 475, 476, 477, 478, 480, 482, 489ख, 495, 497, 504, 509, 510, 511, 512, 512क, 515क, 516, 517, 519, 523क, 527, 534, 535, 535क, 536, 537, 538, 539, 539क, 540, 542, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 551, 553, 555, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 575, 577, 578क, 579, 580, 581, 583, 591, 593, 607, 607क, 611 और 612 के सामने प्रविष्टियों में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।"

III. स्पष्टीकरण में, खंड (IV) और सारणी 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

IV. उपाबंध में, -

- शर्त संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- शर्त सं. 9 के सामने स्तंभ 2 में "शर्त" शीर्ष के अधीन, प्रविष्टियों के स्थान पर, "यदि आयातकर्ता, सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर या विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) नियमावली, 2022 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करता है" शब्द रखे जाएंगे;

- (iii) शर्त सं. 112 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शर्त सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

“113.	यदि, (क) आयातकर्ता, आयात के समय यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त के समक्ष किसी अधिकारी, जो भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय में कार्यरत संयुक्त सचिव के पद से नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र इस बात को प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत करता है कि आयातित माल (उस माल के वर्णन, मात्रा और तकनीकी विनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए) का केवल परीक्षण और/या प्रमाणन के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित परीक्षण अभिकरणों के प्रयोग हेतु आशयित है; (ख) आयातकर्ता, आयात के समय, आयात पत्तन के प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त के समक्ष बंधपत्र निष्पादित करता है, जिसके द्वारा वह स्वयं को ऊपर (क) शर्त में यथा उल्लिखित उद्देश्य से अपयोजन की दशा में व्याज सहित अंतरीय शुल्क संदाय करने हेतु आवद्ध करता है ; (ग) आयातकर्ता, आयात की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर ऐसा परीक्षण और/या प्रमाणन करता है, जिसे आयात पत्तन के प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा तीन मास की अन्य अवधि के लिए, आयातकर्ता के ऐसे विस्तार के निवेदन के कारण देते हुए लिखित अनुरोध पर, विस्तारित किया जा सकेगा; (घ) आयातकर्ता, आयात की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर परीक्षण और/या प्रमाणन के पश्चात्, जहां कहीं लागू हो, माल पुनःनिर्यात करता है जिसे आयात पत्तन के प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा तीन मास की अन्य अवधि के लिए, आयातकर्ता के ऐसे विस्तार के निवेदन के कारण देते हुए लिखित अनुरोध पर, विस्तारित किया जा सकेगा; (ङ) माल परीक्षण के अनुक्रम में स्कैप हो जाता है और इसलिए उसे परीक्षण या/और प्रमाणन के पश्चात् पुनःनिर्यात नहीं किया जाता तो आयातकर्ता ऐसे माल के आयात पत्तन के प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त के समक्ष इस बाबत प्रमाण प्रस्तुत करता है कि यान या यानों के भागों/ई-अपशिष्ट का पुनःचक्रण कर दिया गया है,- (i) ईजन या यान को स्कैप किए जाने की दशा में, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा उस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा ; (ii) ई-अपशिष्ट की दशा में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित विक्रेताओं द्वारा; (iii) अन्य माल की दशा में, संबद्ध अधिसूचित परीक्षण एंजेंसी के प्रमुख द्वारा माल को स्कैप कर दिया गया है ; (च) आयातकर्ता, आयात, उपयोग और स्कैप करने संबंधी उचित लेखा बनाता है और ऐसे लेखों को आवधिक रूप से ऐसे माल के आयात पत्तन के प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त को ऐसी रीति में जो ऐसे माल के आयात पत्तन के सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा विहित की जाए, प्रस्तुत करता है;
-------	---

V. सूची 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सूचियां और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“सूची 36 (सारणी के क्रम सं. 532क को देखिए)

- (1) डीज़ल बस
- (2) डीज़ल हाइब्रिड बस
- (3) पेट्रोल हाइब्रिड बस
- (4) इलैक्ट्रिक बस
- (5) उपशीर्ष 870290 के अधीन आने वाली अन्य बस
- (6) पेट्रोल यात्री यान, जिनकी सिलेंडर की क्षमता 1000 सीसी के अनधिक हो
- (7) पेट्रोल यात्री यान, जिनकी सिलेंडर कीक्षमता 1000 सीसी से अधिक किन्तु 1500 सीसी से अनधिक हो
- (8) पेट्रोल यात्री यान, जिनकी सिलेंडर कीक्षमता 1500 सीसी से अधिक किन्तु 3000 सीसी से अनधिक हो
- (9) पेट्रोल यात्री यान, जिनकी सिलेंडर कीक्षमता 3000 सीसी से अधिक हो
- (10) डीज़ल यात्री यान, जिनकी क्षमता 1500 सीसी से अनधिक हो
- (11) डीज़ल यात्री यान, जिनकीसिलेंडर कीक्षमता 1500 सीसी से अधिक किन्तु 2500 सीसी से अनधिक हो
- (12) डीज़ल यात्री यान, जिनकी सिलेंडर कीक्षमता 2500 सीसी से अधिक हो
- (13) पेट्रोल हाइब्रिड यात्री यान
- (14) डीजल हाइब्रिड यात्री यान
- (15) पेट्रोल प्लगइन हाइब्रिड यात्री यान
- (16) डीजल प्लगइन हाइब्रिड यात्री यान
- (17) उपशीर्ष 870380 के अधीन आने वाले इलैक्ट्रिक यात्री यान
- (18) अन्य यात्रीयान
- (19) यान(40,000 यूएसडी से अधिक सीआईएफ मूल्य वाले शीर्ष 8703 के अधीन आने वाले)
- (20) डंपर्स
- (21) 5 टन से अनधिक जीवीडब्ल्यू वाले डीजल माल यान
- (22) 5 टन से अधिक किंतु 20 टन से अनधिक जीवीडब्ल्यू वाले डीजल माल यान
- (23) 20 टन से अधिक जीवीडब्ल्यू वाले डीजल माल यान
- (24) 5 टन से अनधिक जीवीडब्ल्यू वाले पेट्रोल माल यान
- (25) 5 टन से अधिक जीवीडब्ल्यू वाले पेट्रोल माल यान
- (26) 5 टन से अनधिक जीवीडब्ल्यू वाले डीजल हाइब्रिड माल यान
- (27) 5 टन से अधिक किंतु 20 टन से अनधिक जीवीडब्ल्यू वाले डीजल हाइब्रिड माल यान
- (28) 20 टन से अधिक जीवीडब्ल्यू वाले डीजल हाइब्रिड माल यान

- (29) 5 टन से अनधिक जीवीडब्ल्यू वाले पेट्रोल हाइब्रिड माल यान
- (30) 5 टन से अधिक जीवीडब्ल्यू वाले पेट्रोल हाइब्रिड माल यान
- (31) विद्युत चालित माल यान
- (32) अन्य माल यान
- (33) 50 सीसी तक दुपहियायान
- (34) 50 - 250 सीसी के मध्य इंजन क्षमता वाले दुपहियायान
- (35) 250 - 500 सीसी के मध्य इंजन क्षमता वाले दुपहियायान
- (36) 500 - 800 सीसी के मध्य इंजन क्षमता वाले दुपहियायान
- (37) 800 सीसी से अधिक क्षमता वाले दुपहियायान
- (38) इलैक्ट्रिक दुपहियायान
- (39) अन्य दुपहियायान
- (40) बॉडी नियंत्रण यूनिट या यान नियंत्रण यूनिट
- (41) यानों में उपयोग के लिए इन्फोटेन्मेंट सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
- (42) पैसिव एंट्री पैसिव स्टार्ट
- (43) सार्वजनिक परिवहन के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम
- (44) सनरूफ
- (45) ट्रांसमिशन जिसमें 4 डब्ल्यूडी और आटोमेटिक भी है
- (46) इलैक्ट्रानिक स्टेयरिंग सिस्टम
- (47) यानों के स्पीकर और एम्प्लीफायर
- (48) कंप्रेसर
- (49) हाई टेक स्विच
- (50) वर्षा और प्रकाश सेंसर
- (51) एचवीएसी सिस्टम
- (52) यानों के लिए आंतरिक और बाह्य प्रकाश
- (53) टेलीस्कोपिक फ्रंट ट्यूबस
- (54) डायनेमिक फोर्स फलैक्सीबल इंजन
- (55) सेंसर और कॉयल

- (56) निम्न उत्सर्जन और उच्च ईंधन दक्षता के लिए इंजन संघटक
- (57) एक्जास्ट सिस्टम
- (58) यांत्रिक सील
- (59) अनुकल्पी ईंधन सिस्टम
- (60) इंजन प्रबंध इसीयू
- (61) इलैक्ट्रो वाल्व, एक्ज्यूमुलेटर, गेयर पंप, रोटोर तेल पंप
- (62) मोटर
- (63) हाइड्रोजन यान सिस्टम
- (64) सिलेंडर
- (65) प्लास्टिक ईंधन टैंक
- (66) वायरिंग हारनेस
- (67) हेड लेंप
- (68) एजीएस (ट्रांसमिशन) वाले शिफ्ट टावर
- (69) उपशीर्ष 87089900 के अधीन आने वाले मोटर यानों के अन्य पुर्जे और सामग्री
- (70) सीट बेल्ट वेबिंग
- (71) साइड इन्टूशन या इंपैक्ट बीम ट्यूब
- (72) टैरिफ मद 87089900 के अधीन आने वाले बॉडी पुर्जे
- (73) चालन चेन
- (74) ब्लोअर या इंजन कूलिंग या सूक्ष्म मोटर, बीएलडीसी मोटर
- (75) एक्सल सिस्टम
- (76) ई-लिफ्ट एक्सल
- (77) इलैक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित एयर सस्पेंशन
- (78) इंटेलिजेंट ट्रेलर प्रोग्राम
- (79) ड्रयल मास फ्लाई वील (डीएमएफ)
- (80) लाइटिंग सिस्टम
- (81) एयरबैग
- (82) ब्रेकिंग सिस्टम

- (83) यानों में उपयोग के लिए लाइट एमिटिंग डायोड
- (84) कान्टेक्ट कॉयल-एयर बैग डिप्लायमेंट
- (85) इमोबाइलाइजर – दुपहियायान
- (86) हार्न सिस्टम और संघटक
- (87) इंटारडर
- (88) उन्नत ग्लेजिंग साल्यूशन
- (89) एलॉय पहिये (2 पहिया, 4 पहिया) सिस्टम और संघटक
- (90) इलेक्ट्रिक यान पुर्जे
- (91) उच्च वोल्टेज शक्ति वितरण यूनिट
- (92) इलेक्ट्रिक यान पंप और मोटर
- (93) इलेक्ट्रिक यान के लिए चालन यूनिट
- (94) इलेक्ट्रिक यान ट्रांसमिशन और अन्य मद
- (95) टैरिफ मद 4011 10 10 के अधीन आने वाले टायर ;

सूची 37 (सारणी का क्रम सं . 532क देखिए)

- (1) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसियेशन ऑफ इंडिया(एआरएआई), पुणे, महाराष्ट्र
- (2) इंटरनेशनल सेंटर फार ऑटोमोटिव टेक्नोलोजी(आईसीएटी), मानेसर, हरियाणा
- (3) ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर(जीएआरसी), चेन्नई, तमिलनाडु
- (4) इंडियन रबर मैनुफैक्चर्स रिसर्च एसोसियेशन(आईआरएमआरए), थाणे, महाराष्ट्र
- (5) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रेक्स(एनएटीआरएक्स), इंदौर, मध्य प्रदेश
- (6) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट(सीआईआरटी), पुणे, महाराष्ट्र
- (7) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम(आईआईपी), देहरादून, उत्तराखंड
- (8) सेंट्रल फार्म मशीनरी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट(सीएफएमटीटीआई), बुधनी, मध्य प्रदेश
- (9) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का व्हीकल रिसर्च और डवलपमेंट एस्टेबलिशमेंट(वीआरडीई), अहमदनगर, महाराष्ट्र
- (10) नार्थ रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, हिसार, हरियाणा ।”।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/03/2023-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना 50/2017- सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा.का.नि. सं. 785 (अ) तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना 59/2022- सीमा शुल्क, तारीख 18 नवंबर, 2022 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा.का.नि. सं. 828 (अ) तारीख 18 नवंबर, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2023

No. 02/2023-Customs

G.S.R. 67(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

I. in the Table, -

(1) against S. No. 16, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely: -

“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2023.”;

(2) after S. No. 26A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“26B.	0802 99 00	Pecan nuts	30%	-	”;

(3) after S. No. 54 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“54A.	1504 20	Fish lipid oil for use in manufacture of aquatic feed	15%	-	9”;

(4) after S. No. 81 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“81A.	1520 00 00	Crude glycerin for use in manufacture of Epichlorohydrin	2.5%	-	9”;

(5) after S. No. 100 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“100A.	2102 20 00	Algal Prime (flour) for use in manufacture of aquatic feed	15%	-	9”;

- (6) after S. No. 104A and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"104B.	2207 20 00	Denatured ethyl alcohol for use in manufacture of industrial chemicals	Nil	-	9
104C.	2301 20	Fish meal for use in manufacture of aquatic feed	5%	-	9
104D.	2301 20	Krill meal for use in manufacture of aquatic feed	5%	-	9
104E.	2309 90 90	Mineral and Vitamin Premixes for use in manufacture of aquatic feed	5%	-	9";

- (7) after S. No. 132 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"132A.	2529 22 00	Acid grade fluorspar containing by weight more than 97% of calcium fluoride	2.5%	-	-";

- (8) against S. No. 141, in column (4), for the entry, the entry "2.5%" shall be substituted;
- (9) S. No. 141C and the entries relating thereto shall be omitted;
- (10) against S. No. 166, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely: -
 "Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2025.";
- (11) against S. No. 167, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely: -
 "Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2025.";
- (12) against S. No. 168, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely: -
 "Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2025.";
- (13) against S. No. 237, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely: -
 "Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2024.";
- (14) after S. No. 280 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"280A.	4011 30 00	All goods other than goods covered under S. Nos. 279 and 280	2.5%	-	-";

- (15) against S. No. 325, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely: -
 "Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2023.";
- (16) against S. No. 340, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely: -
 "Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2024.";
- (17) against S. No. 341, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely: -
 "Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2025.";
- (18) against S. No. 341A, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely: -
 "Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2025.";

- (19) after S. No. 345A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“345B.	7102, 7104	Seeds for use in manufacturing of rough lab-grown diamonds: Provided that nothing contained in this entry shall have effect after 1st February, 2025	NIL	-	9”;

- (20) against S. No. 354, in column (4), for the entry “11.85%”, the entry “10%” shall be substituted;
- (21) against S. No. 355, in column (4), for the entry “6.1%”, the entry “10%” shall be substituted;
- (22) against S. No. 356, in column (4), for the entry “12.5%”, at both the places, the entry, “10%” shall be substituted;
- (23) against S. No. 357, in column (4), for the entry “7.5%”, the entry “10%” shall be substituted;
- (24) against S. No. 357A, in column (4), for the entry “12.5%”, the entry “10%” shall be substituted;
- (25) against S. No. 357B, in column (4), for the entry “7.5%”, the entry “10%” shall be substituted;
- (26) against S. No. 364B, in column (2), for the entries “7107 00 00, 7109 00 00, 7111 00 00, 7112, 7118”, the entries “7107 00 00, 7109 00 00, 7110 11 10, 7110 11 20, 7110 19 00, 7110 21 00, 7110 29 00, 711041 00, 7110 49 00, 7111 00 00, 7112, 7118” shall be substituted;
- (27) against S. No. 368, in column (3), for the figure, “2023”, the figure, “2024” shall be substituted;
- (28) against S. No. 374, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely: -
“Provided that nothing contained in this entry shall have effect after 31st March, 2024”;
- (29) against S. No. 375, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely: -
“Provided that nothing contained in this entry shall have effect after 31st March, 2024”;
- (30) against S. No. 405, in column (3), for the figure, “2023”, the figure, “2025” shall be substituted ;
- (31) against S. No. 406, in column (3), for the figure, “2023”, the figure, “2025” shall be substituted ;
- (32) after S. No. 489A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“489AA.	8516 80 00	Heat Coil for use in the manufacture of Electric Kitchen Chimneys falling under tariff item 8414 60 00	15%	-	9”;

- (33) against S. No. 515B, in column (4), for the entry “5%”, the entry “2.5%” shall be substituted;
- (34) against S. No. 526, in column (4), for the entries “30%” and “60%”, the entries “35%” and “70%” shall be substituted respectively;
- (35) against S. No. 526A, in column (4), for the entries “30%” and “60%”, the entries “35%” and “70%” shall be substituted respectively;
- (36) against S. No. 527A, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely: -
“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2024.”;
- (37) against S. No. 527B, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely: -
“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2024.”;

- (38) after S. No. 532 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“532A.	39,40,58,70,72 73,83,84,85, 87,90	Vehicles, automobile parts/components, sub-systems and tyres specified in List 36, when imported by testing agencies specified in List 37, for the purpose of testing and/or certification	Nil	-	113”;

- (39) after S. No. 543 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“543A.	8802 20 00, 8802 30 00, 8802 40 00	All goods other than those covered under S. Nos. 537, 540, 542 and 543	2.5%	-	-”;

- (40) against S. No. 559, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely: -

“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2025.”;

- (41) against S. No. 609, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2028.”;

- II. after the proviso and before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided further that nothing contained in the entries against serial numbers 17, 80A,90, 104,133,139,150, 155, 164, 165, 172,183, 184, 188,191, 204, 212A, 213, 238, 253, 254, 255, 257, 257A, 257B, 257C, 258, 259, 260, 261, 265,269, 271, 276, 277A,279, 280, 290, 292, 293A, 296A, 326, 329, 333, 334, 339, 345A, 353, 364A, 378, 379, 380, 381, 387, 392, 415, 415A, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 426, 428, 429,435, 441, 442, 446, 451, 462, 463, 464,464A, 467, 468, 471, 472, 475, 476, 477, 478, 480, 482, 489B, 495, 497, 504, 509, 510, 511, 512, 512A, 515A, 516,517, 519, 523A, 527, 534, 535, 535A, 536, 537, 538, 539, 539A,540, 542, 543, 544,546, 548, 549, 550, 551, 553, 555, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 575, 577, 578A,579, 580, 581, 583, 591,593, 607, 607A, 611 and612shall have effect after 31st March, 2024.”

- III. in the Explanation, clause (IV) and TABLE 2 and the entries relating thereto shall be omitted;

- IV. in the ANNEXURE, -

- (i) Condition No. 2 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) against Condition No. 9, in column 2 under heading ‘Conditions’, for the entries, the following entries “If the importer follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty or for Specified End Use) Rules,2022.” shall be substituted;
- (iii) after Condition No. 112 and the entries relating thereto, the following Condition No. and the entries shall be inserted, namely: -

“113.	If,- (a) at the time of import, the importer produces to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, a certificate from an Officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Heavy Industries certifying that the imported goods (having regard to their description, quantity and technical specification) are intended for use by testing agencies specified in List 37 for testing and/or certification purposes only; (b) at the time of import, the importer executes a bond before the Principal Commissioner or Commissioner of Customs of the port of import binding himself to pay the differential duty along with interest in case of diversion from the purpose as mentioned in condition (a) above;
-------	--

	(c) importer carries out testing and/or certification within a period of six months from the date of import, which may be extended by another three months by the Principal Commissioner or Commissioner of Customs of the port of import upon the written request of the importer citing reasons for seeking such extension; (d) the importer re-exports the goods, wherever applicable, after testing and/or certification, within a period of six months from the date of import, which may be extended by another three months by the Principal Commissioner or Commissioner of the port of import upon written request of the importer citing reasons for seeking such extension; (e) the goods are destroyed in the course of testing and thus not re-exported after testing and/or certification, the importer produces a certificate to the Principal Commissioner or Commissioner of the port of import of such goods that scrapping or re-cycling of vehicle parts or vehicles or E-waste have been carried out,- i. in case of scrapping of engine /vehicle, by agencies authorised for the purpose by the State Government or Union Territory or the Central Governments; ii. in case of E-waste, by the Central Pollution Control Board approved vendors; iii. in case of other goods, by the head of the concerned notified testing agency that the goods have been scrapped; (f) the importer maintains a proper account of import, use and scrap, and submits such account periodically to the Principal Commissioner or Commissioner of Customs of the port of import of such goods;
--	--

V. after List 35 and the entries relating thereto, the following lists and entries shall be inserted namely,-

“ List 36 (See S. No. 532A of the Table)

- (1) Diesel Buses
- (2) Diesel Hybrid Buses
- (3). Petrol Hybrid Buses
- (4) Electric Buses
- (5) Other Buses under sub-heading 870290
- (6) Petrol Passenger Vehicles of a cylinder capacity not exceeding 1000cc
- (7) Petrol Passenger Vehicles of a cylinder capacity exceeding 1000cc but not exceeding 1500cc
- (8) Petrol Passenger Vehicles of a cylinder capacity exceeding 1500cc but not exceeding 3000cc
- (9) Petrol Passenger Vehicles of a cylinder capacity exceeding 3000cc
- (10) Diesel Passenger Vehicles of a cylinder capacity not exceeding 1500cc
- (11) Diesel Passenger Vehicles of a cylinder capacity exceeding 1500cc but not exceeding 2500cc
- (12) Diesel Passenger Vehicles of a cylinder capacity exceeding 2500cc
- (13) Petrol Hybrid Passenger Vehicles
- (14) Diesel Hybrid Passenger Vehicles
- (15) Petrol Plug-in Hybrid Passenger Vehicles
- (16) Diesel Plug-in Hybrid Passenger Vehicles
- (17) Electric Passenger Vehicles under sub-heading 870380
- (18) Other Passenger Vehicles
- (19) Vehicles (falling under heading 8703 with CIF value exceeding USD 40,000
- (20) Dumpers

- (21) Diesel Goods Vehicles with g.v.w not exceeding 5 tonnes
- (22) Diesel Goods Vehicles with g.v.w exceeding 5 tonnes but not exceeding 20 tonnes
- (23) Diesel Goods Vehicles with g.v.w exceeding 20 tonnes
- (24) Petrol Goods Vehicles with g.v.w not exceeding 5 tonnes
- (25) Petrol Goods Vehicles with g.v.w exceeding 5 tonnes
- (26) Diesel Hybrid Goods Vehicles g.v.w not exceeding 5 tonnes
- (27) Diesel Hybrid Goods Vehicles with g.v.w exceeding 5 tonnes but not exceeding 20 tonnes
- (28) Diesel Hybrid Goods Vehicles with g.v.w exceeding 20 tonnes
- (29) Petrol Hybrid Goods Vehicles with g.v.w not exceeding 5 tonnes
- (30) Petrol Hybrid Goods Vehicles with g.v.w exceeding 5 tonnes
- (31) Electric Goods Vehicles
- (32) Other Goods Vehicles
- (33) Two Wheelers with cylinder capacity upto 50 cc
- (34) Two Wheelers with engine cylinder capacity between 50 - 250 cc
- (35) Two Wheelers with engine cylinder capacity between 250 - 500 cc
- (36) Two Wheelers with engine cylinder capacity between 500 - 800 cc
- (37) Two Wheelers with engine cylinder capacity greater than 800 cc
- (38) Two Wheelers Electric
- (39) Other Two Wheelers
- (40) Body Control Unit / Vehicle Control Unit
- (41) Infotainment Systems / Instrument Clusters for use in vehicles
- (42) Passive Entry Passive Start
- (43) Intelligent Transportation System for Public Transport
- (44) Sunroof
- (45) Transmission including 4WD and Automatics
- (46) Electronic Steering System
- (47) Speakers and Amplifiers of vehicles
- (48) Compressor
- (49) Hi-Tech Switches
- (50) Rain and Light Sensors
- (51) HVAC Systems
- (52) Interior and Exterior Lightings for vehicles
- (53) Telescopic Front Fork Tubes
- (54) Dynamic Force Flexible Engine
- (55) Sensors and Coils
- (56) Engine Components for Low Emission and High Fuel Efficiency
- (57) Exhaust System

-
- | | |
|------|--|
| (58) | Mechanical Seals |
| (59) | Alternate Fuel Systems |
| (60) | Engine Management ECUs |
| (61) | Electro valves, Accumulator, Gear Pump, Rotor Oil Pump |
| (62) | Motors |
| (63) | Hydrogen Vehicle System |
| (64) | Cylinders |
| (65) | Plastic Fuel Tank |
| (66) | Wiring Harness |
| (67) | Head Lamps |
| (68) | Shift Tower with AGS (Transmission) |
| (69) | Other parts and accessories of the motor vehicles under sub-heading 87089900 |
| (70) | Seat Belt webbing |
| (71) | Side Intrusion/ Impact Beam Tubes |
| (72) | Body Parts falling under tariff item 87089900 |
| (73) | Drive chains |
| (74) | Blower or Engine Cooling or Micro Motors, BLDC Motors |
| (75) | Axle Systems |
| (76) | E-Lift Axle |
| (77) | Electronically Controlled Air Suspension |
| (78) | Intelligent Trailer Program |
| (79) | Dual Mass Flywheel (DMF) |
| (80) | Lighting Systems |
| (81) | Airbags |
| (82) | Braking Systems |
| (83) | Light Emitting Diode for use in vehicle |
| (84) | Contact Coil - Airbag Deployment |
| (85) | Immobilizer-Two Wheeler |
| (86) | Horn System and Components |
| (87) | Intarder |
| (88) | Advanced Glazing Solutions |
| (89) | Alloy wheels (2W, 4W) System and Components |
| (90) | Electric Vehicle Parts |
| (91) | High Voltage Power Distribution Unit |
| (92) | Electric Vehicle Pumps & Motors |
| (93) | Drive Units for Electric Vehicle |
| (94) | Electric Vehicle Transmission and Other Items |

- (95) Tyres falling under tariff item 4011 1010

List 37 (See S. No. 532A of the Table)

- (1) Automotive Research Association of India (ARAI), Pune, Maharashtra
- (2) International Centre for Automotive Technology (ICAT), Manesar, Haryana
- (3) Global Automotive Research Centre (GARC), Chennai, Tamil Nadu
- (4) Indian Rubber Manufacturers Research Association (IRMRA), Thane, Maharashtra
- (5) National Automotive Test Tracks (NATRAX), Indore, Madhya Pradesh.
- (6) Central Institute of Road Transport (CIRT), Pune, Maharashtra
- (7) Indian Institute of Petroleum (IIP), Dehradun, Uttarakhand
- (8) Central Farm Machinery Testing and Training Institute (CFMTTI), Budhni, Madhya Pradesh.
- (9) Vehicle Research and Development Establishment of the Ministry of Defence of the Government of India (VRDE), Ahmednagar, Maharashtra.
- (10) North Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar, Haryana.”.

2. This notification shall come into force on the 2nd day of February, 2023.

[F. No.334/03/2023-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended vide notification No. 59/2022-Customs, dated the 18th November, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.828 (E), dated the 18th November, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली 1 फरवरी, 2023

सं. 03/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 68(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 11/2021 सीमा-शुल्क, तारीख 01 फरवरी, 2021 जो संख्यांक सा.का.नि. 69(अ), तारीख 01 फरवरी, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,

- (1) क्रम संख्यांक 10 के सामने, स्तंभ (4) में “शून्य” प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (2) क्रम संख्यांक 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"13क.	40113000	भारत के राजपत्र संख्यांक सा.का.नि. 785 (अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क तारीख 30 जून, 2017 की सारणी के क्रम संख्यांक 280क के अधीन आने वाले सभी माल।	0.5%";

(3) क्र. सं. 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(4) क्रम संख्यांक 15क के सामने, स्तंभ (4) में, "1.5%" प्रविष्टि के स्थान पर, "5.4%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(5) क्रम संख्यांक 15क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"15ख.	71	निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (क) रजत डोर बार, जिसमें 95 % से अनधिक रजत अंतर्वस्तु है; (ख) स्वर्ण डोर बार, जिसमें 95 % से अनधिक स्वर्ण अंतर्वस्तु है; परंतु यह कि आयातकर्ता, सीमाशुल्क (शुल्ककीरियायती कि दर पर या विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) नियमावली, 2022 में विहित प्रक्रिया का पालन करता है; परंतु यह भी कि, - (क) माल सीधे उस देश से, जिसमें उसका उत्पादन किया गया था, लादा जाता है और प्रत्येक छड़ का भार 5कि. ग्राम या उससे अधिक है; (ख) माल का आयात उस खनन कंपनी द्वारा जिसके द्वारा उनका उत्पादन किया गया था, जारी की गई पैकिंग सूचि के अनुसार किया जाता है ; (ग) आयातकर्ता, यथास्थिति, सीमा- शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त के समक्ष डोर छड़ में अंतर्विष्ट बहुमूल्य धातु का ब्योरा देते हुए खनन कंपनी या उससे सम्बन्ध प्रयोगशाला द्वारा जारी किया गया परख प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है ; (घ) स्वर्ण डोर छड़ का आयात वास्तविक उपभोक्ता द्वारा 99.5% प्रतिशत और उससे अधिक शुद्धता वाली मानक स्वर्ण की छड़ों के परिष्करण और विनिर्माण के प्रयोजन के लिए किया जाता है; और (ङ) रजत डोर का आयात वास्तविक उपभोक्ता द्वारा 99.9% और प्रतिशत और उससे अधिक शुद्धता वाली उससे रजत छड़ों के परिष्करण और विनिर्माण के प्रयोजन के लिए किया जाता है।	4.35%
15ग.	71(7106, 7108 के	भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क,	2.5%

	अलावा)	तारीख 30 जून, 2017 की सारणी के क्रम सं. 356 और 357 के अधीन आने वाले सभी माल ।	
15घ.	7106, 7108, 98	निम्नलिखित माल (क्रम सं. 15ख और 15ग के अंतर्गत आने वाले मालों के सिवाय) अर्थात्:- (क) रजत (ख) स्वर्ण	5%";

(6) क्र. सं. 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(7) क्रम संख्यांक 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"16क.	8802 2000, 8802 3000, 8802 4000	भारत के राजपत्र संख्यांक सा.का.नि. 785 (अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क तारीख 30 जून, 2017 की सारणी के क्रम संख्यांक 543क के अधीन आने वाले सभी माल ।	0.5%;

(8) क्रम संख्यांक 17 के सामने, स्तंभ (3) में, "16" अंक के स्थान पर "16क" अंक रखा जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/03/2023-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, संख्यांक 11/2021-सीमाशुल्क तारीख 1 फरवरी, 2021 संख्यांक सा.का.नि. 69(अ), तारीख 1 फरवरी, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक 60/2022-सीमाशुल्क, तारीख 18 नवंबर, 2022 द्वारा अंतिमवार संशोधित की गई थी जो संख्यांक सा.का.नि. 829(अ), तारीख 18 नवंबर, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2023

No. 03/2023-Customs

G.S.R. 68(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 11/2021-Customs, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 69(E), dated the 1st February, 2021, namely :-

In the said notification, in the TABLE

(1) against Sl. No. 10, in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

- (2) after Sl. No. 13 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"13A.	4011 30 00	All goods covered under S. No. 280A of the of the Table in Notification No. 50/2017-Customs dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India vide number G.S.R. 785(E) dated the 30th June, 2017	0.5%";

- (3) Sl. No. 15 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (4) against Sl. No. 15A, in column (4), for the entry "1.5%", the entry "5.4%" shall be substituted;
- (5) after Sl. No. 15A and the entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"15B.	71	The following goods, namely: - (a) Silver dore bar, having silver content not exceeding 95% (b) Gold dore bar, having gold content not exceeding 95% Provided that the importer follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty or for Specified End Use) Rules, 2022: Provided further that (a) the goods are directly shipped from the country in which they were produced and each bar has a weight of 5 kg. or above; (b) the goods are imported in accordance with the packing list issued by the mining company by whom they were produced; (c) the importer produces before the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, an assay certificate issued by the mining company or the laboratory attached to it, giving detailed precious metal content in the dore bar; (d) the gold dore bars are imported by the actual user for the purpose of refining and manufacture of standard gold bars of purity 99.5% and above; and (e) the silver dore bars are imported by the actual user for the purpose of refining and manufacture of silver bars of purity 99.9% and above.	4.35%
15C.	71(except 7106, 7108)	All goods covered under S. Nos.356 and 357 of the notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017.	2.5%
15D.	7106, 7108, 98	The following goods (other than those mentioned at Sl. Nos. 15B and 15C), namely: - (a) Silver (b) Gold	5%";

- (6) Sl. No. 16 and the entries relating thereto shall be omitted;

- (7) after Sl. No. 16 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"16A.	8802 20 00, 8802 30 00, 8802 40 00	All goods covered under S. No. 543A of the Table in Notification No. 50/2017-Customs dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India vide no G.S.R. 785(E) dated the 30th June, 2017.	0.5%";

- (8) against Sl. No. 17, in column (3), for the figure "16", the figure "16A" shall be substituted.

2. This notification shall come into effect on the 2nd day of February, 2023.

[F. No. 334/03/2023-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 11/2021-Customs, dated the 1st February, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 69(E), dated the 1st February, 2021 and last amended vide notification No. 60/2022-Customs, dated the 18th November, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 829(E), dated the 18th November, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2023

सं. 04/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 69(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 10 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 11/2018-सीमा शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018, जो सा.का.नि. 114(अ), तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (I). परन्तुक में "और 52" शब्द और अंक के स्थान पर "52, 54, 55, 56 और 59" अंकों और शब्दों को रखा जाएगा;

- (II). सारणी में,-

- (1) क्रम सं. 1 के सामने, स्तंभ (2) में,-

- (i) "0802 99 00" अंकों के स्थान पर "0802 99 00 (भिदुरकाष्ठ/पेकान फल के सिवाय)" अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) "6802 92 00" अंकों के पश्चात् "7106, 7108, 7117, 8712 00 10" अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

- (2) क्रम सं. 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)
"54.	(क) रेडियम; (ख) अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो सं. सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, से संलग्न सारणी के (i) क्रम सं. 415क;

	(ii) स्तंभ (3), क्रम सं. 415 की मद (क); के अधीन आने वाले मालों और के अलावा शीर्ष 7110 के अंतर्गत आने वाला समस्त माल ।
55.	भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 की सारणी के क्रम सं. 356, 357 और 364 के अंतर्गत आने वाले मालों के अलावा शीर्ष 7113 के अंतर्गत आने वाला समस्त माल ।
56.	भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 की सारणी के क्रम सं. 356 और 357 के अंतर्गत आने वाले मालों के अलावा शीर्ष 7114 के अंतर्गत आने वाला समस्त माल ।
57.	अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो सं. सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, से संलग्न सारणी के (i) स्तंभ (3), क्रम सं. 526 की मद (1) की उपमद (ख); (ii) स्तंभ (3), क्रम सं. 526 की मद (2) की उपमद (ख); (iii) स्तंभ (3), क्रम सं. 526 की मद (1) की उपमद (ख); (iv) स्तंभ (3), क्रम सं. 526 की मद (2) की उपमद (ख); के अंतर्गत आने वाले शीर्ष 8703 के अधीन आने वाला समस्त माल ।
58.	भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 की सारणी के क्रम सं. 543 के अधीन आने वाले सभी माल ।
59.	भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 की सारणी के क्रम सं. 591 के अधीन आने वाले मालों के अलावा शीर्ष 9503 के अधीन आने वाला समस्त माल।”।

2. यह अधिसूचना तारीख 2 फरवरी, 2023 से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 334/03/2023-टीआरयू

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 11/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018 सं. सा.का.नि. 114(अ), तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 24/2022-सीमाशुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी, जो सं. सा.का.नि. 327(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2023

No. 04/2023-Customs

G.S.R. 69(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 110 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 11/2018-Customs, dated the 2nd February, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 114(E), dated the 2nd February, 2018, namely :-

In the said notification, -

- (I). in the proviso, for the word and figure “and 52”, the figures and word “52, 54, 55, 56 and 59” shall be substituted;

(II). in the TABLE, -

(1) against Sl. No. 1, in column (2),-

- (i) for the figures “0802 99 00”, the figures, brackets and words “0802 99 00 (other than Pecan nuts)” shall be substituted;
- (ii) after the figures “6802 92 00”, the figures “7106, 7108, 7117, 8712 00 10” shall be inserted;

(2) after Sl. No. 53 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)
“54.	All goods falling under heading 7110, under column (3), other than – (A) Rhodium; (B) goods covered under S. No. 415A and item(a) in column (3) against S. No. 415 of the Table appended to the notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017.
55.	All goods falling under heading 7113, other than the goods covered under S. Nos. 356, 357 and 364C of the Table appended to the notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017.
56.	All goods falling under heading 7114, other than the goods covered under S. Nos. 356 and 357 of the Table appended to the notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017.
57.	All goods falling under heading 8703 covered under- (i) column (3), sub-item (b) of item (1) of S. No. 526; (ii) column (3), sub-item (b) of item (2) of S. No. 526; (iii) column (3), sub-item (b) of item (1) of S. No. 526A; (iv) column (3), sub-item (b) of item (2) of S. No. 526A; of the Table appended to the notification No. 50/2017-Customs dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India vide no G.S.R. 785(E) dated the 30th June, 2017.
58.	All goods covered under S. No. 543A of the Table appended to the notification No. 50/2017-Customs dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India vide no G.S.R. 785(E) dated the 30th June, 2017.
59.	All goods falling under heading 9503 other than the goods covered under S. No. 591 of the Table appended to the Notification No. 50/2017-Customs dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India vide no G.S.R. 785(E) dated the 30th June, 2017.”.

2. This notification shall come into effect on the 2nd day of February, 2023.

[F. No. 334/03/2023-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 11/2018-Customs, dated the 2nd February, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 114(E), dated the 2nd February, 2018 and last amended vide notification No. 24/2022-Customs, dated the 30th April, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 327(E), dated the 30th April, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2023

सं. 05/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 70(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे निरसन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित सारणी में यथा उल्लिखित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को निरस्त करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना
1.	संख्यांक 13/2021-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021, संख्यांक सा.का.नि. 71(अ), तारीख 1 फरवरी, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।
2.	संख्यांक 34/2022-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2022, संख्यांक सा.का.नि. 487(अ), तारीख 30 जून, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/03/2023-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2023

No. 05/2023-Customs

G.S.R. 70(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 110 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), as mentioned in the following Table, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, namely:-

TABLE

Sl. No.	Notifications
1.	No. 13/2021-Customs, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 71(E), dated the 1st February, 2021.
2.	No. 34/2022-Customs, dated the 30th June, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 487(E), dated the 30th June, 2022.

2. This notification shall come into force on the 2nd day of February, 2023.

[F. No. 334/03/2023-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2023

सं. 06/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 71(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्कअधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, निम्न सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा तक, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

क्रम सं.	अधिसूचना संख्यांक और तारीख	संशोधन								
(1)	(2)	(3)								
1.	अधिसूचना सं. 25/1999-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999 सा.का.नि. सं. 161(अ), तारीख 28 फरवरी, 1999	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, सूची क में,- (i) क्रम सं. 17 के सामने, स्तंभ (4) में,प्रविष्टि के स्थान पर,“फैराइट; प्री-कैल्साइड फैराइट पाउडर”प्रविष्टि रखी जाएगी ; (ii) क्रम सं. 225 के सामने, स्तंभ (3) में, मद (vi) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात:- “(vi) द्रव्य स्फटिक पोलामीर (एलसीपी)”; (iii) क्रम सं. 225 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- <table><tr><td>“225क</td><td>3824 99 00</td><td>पैलेडियम टेट्रा अमीन सल्फेट</td><td>संबंधक के भाग”;</td></tr></table>	“225क	3824 99 00	पैलेडियम टेट्रा अमीन सल्फेट	संबंधक के भाग”;				
“225क	3824 99 00	पैलेडियम टेट्रा अमीन सल्फेट	संबंधक के भाग”;							
2.	अधिसूचना सं. 25/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 सा.का.नि. सं. 122(अ), तारीख 1 मार्च, 2002	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 69 के सामने, स्तंभ (3) में “मोबाइल हैंड सेट के बैटरी” शब्दों के पश्चात् “या इलैक्ट्रानिकली औपरेटिड यानों की बैटरी” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;								
3.	अधिसूचना सं. 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017सा.का.नि. सं. 798(अ), तारीख 30 जून, 2017	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम सं. 6ख के सामने, स्तंभ (3) में, मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :- “(क) सैलुलर मोबाइल फोनों के कैमरा मॉड्यूल के विनिर्माण में उपयोग के लिए,कैमरे लेंस से भिन्न,इनपुट्स या पाटर्स; ” (ii) क्रम सं. 6ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:- <table><tr><td rowspan="2">‘6खक</td><td rowspan="2">कोई अध्याय</td><td>(क) सैल्युलर मोबाइल फोनों के कैमरा मॉड्यूल के विनिर्माण में उपयोग के लिए कैमरा लेंस</td><td>शून्य</td><td>1</td></tr><tr><td>(ख) सैल्युलर मोबाइल फोनों के कैमरा मॉड्यूल के कैमरा लेंस के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या सब-पाटर्स</td><td>शून्य</td><td>1”</td></tr></table>	‘6खक	कोई अध्याय	(क) सैल्युलर मोबाइल फोनों के कैमरा मॉड्यूल के विनिर्माण में उपयोग के लिए कैमरा लेंस	शून्य	1	(ख) सैल्युलर मोबाइल फोनों के कैमरा मॉड्यूल के कैमरा लेंस के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या सब-पाटर्स	शून्य	1”
‘6खक	कोई अध्याय	(क) सैल्युलर मोबाइल फोनों के कैमरा मॉड्यूल के विनिर्माण में उपयोग के लिए कैमरा लेंस			शून्य	1				
		(ख) सैल्युलर मोबाइल फोनों के कैमरा मॉड्यूल के कैमरा लेंस के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या सब-पाटर्स	शून्य	1”						

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/03/2023-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवसर सचिव

टिप्पणः

1. मूल अधिसूचना सं. 25/1999-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 161(अ), तारीख 28 फरवरी, 1999 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 14/2022-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. सं. 88(अ), तारीख 1 फरवरी, 2022, द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।
2. मूल अधिसूचना सं. 25/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. सं. 122(अ), तारीख 1 मार्च, 2002, द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 15/2022-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. सं. 89(अ), तारीख 1 फरवरी, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।
3. मूल अधिसूचना सं. 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. सं. 798(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 15/2022-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. सं. 89(अ), तारीख 1 फरवरी, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2023

No. 06/2023-Customs

G.S.R. 71(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes further amendments in the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below to the extent specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely: -

Sl. No.	Notification number and Date	Amendments								
(1)	(2)	(3)								
1.	Notification No. 25/1999-Customs, dated the 28th February, 1999, vide number G.S.R. 161(E), dated the 28th February, 1999.	In the said notification, in the TABLE, in LIST A,- (i) against S. No. 17, in column (4), for the entry, the entry “Ferrites; Pre-calcined Ferrite Powder.” shall be substituted; (ii) against S. No. 225, in column (3), for item (vi), the following item shall be substituted, namely: - “(vi) Liquid crystal polymer (LCP)”; (iii) after S. No. 225 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted,namely:- <table><tr><td>“225A.</td><td>3824 99 00</td><td>Palladium Tetra Amine Sulphate</td><td colspan="2">Parts of Connectors”;</td></tr></table>				“225A.	3824 99 00	Palladium Tetra Amine Sulphate	Parts of Connectors”;	
“225A.	3824 99 00	Palladium Tetra Amine Sulphate	Parts of Connectors”;							
2.	Notification No. 25/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, vide number G.S.R. 122(E), dated the 1st March, 2002.	In the said notification, in the TABLE, against S. No. 69, in column (3), after the words “Mobile Hand sets”, the words “or Battery of Electrically Operated Vehicles” shall be inserted;								
3.	Notification No. 57/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 vide number G.S.R. 798(E).	In the said notification, in the TABLE, (i) against S. No. 6B, in column (3), for item (a), the following item shall be substituted, namely:-								

	dated the 30th June, 2017.	“(a) Inputs or parts, other than camera lens, for use in manufacture of Camera Module of cellular mobile phones”; (ii) after S. No. 6B and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -				
		“6BA.	Any chapter	(a) Camera lens for the use in manufacture of Camera Module of cellular mobile phones (b) Inputs or sub-parts for use in manufacture of Camera lens of Camera Module of cellular mobile phones	Nil	1 1”

2. This notification shall come into force on the 2nd day of February, 2023.

[F. No. 334/03/2023-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note:

1. The principal notification No. **25/1999**-Customs, dated the 28th February, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i), vide number G.S.R.161(E), dated the 28th February, 1999 and was last amended by notification No. 14/2022- Customs, dated the 1st February, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 88(E), dated the 1st February, 2022.
2. The principal notification No. **25/2002**-Customs, dated the 1st March, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i), vide number G.S.R.122(E), dated the 1st March, 2002 and was last amended by notification No. 15/2022- Customs, dated the 1st February, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 89(E), dated the 1st February, 2022.
3. The principal notification No. **57/2017**-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 798(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. 15/2022- Customs, dated the 1st February, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 89(E), dated the 1st February, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2023

सं. 07/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 72(अ).—केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परियोजना आयात विनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम परियोजना आयात (संशोधन) विनियम, 2023 है।
(2) ये 2 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होंगे।
2. परियोजना आयात विनियम, 1986 की सारणी में, क्रम संख्यांक 4 के सामने, स्तंभ 2 में, “किसी अन्य संयंत्र और परियोजना” शब्दों के स्थान पर “सौर ऊर्जा संयंत्र या सौर ऊर्जा परियोजना से भिन्न, कोई अन्य संयंत्र और परियोजना” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 334/03/2023-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

टिप्पण : मूल विनियम संख्यांक सा.का.नि. 580(अ), तारीख 3 अप्रैल, 1986 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 3 अप्रैल, 1986 में प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा.का.नि 783(अ) तारीख 19 अक्तूबर, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2023

No. 07/2023-Customs

G.S.R. 72(E).— In exercise of the powers conferred by section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Project Imports Regulations, 1986, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Project Imports (Amendment) Regulations, 2023.
(2) They shall come into force on the 2nd day of February, 2023.
2. In the Project Imports Regulations, 1986, in the TABLE, against Sr. No. 4, in column 2, for the words “Any other Plant and Project”, the words “Any other Plant and Project, other than solar power plant or solar power project” shall be substituted.

[F. No. 334/03/2023-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 3rd April, 1986, vide number G.S.R. 580 (E), dated the 3rd April, 1986 and was last amended vide number G.S.R. 783(E), dated the 19th October, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2023

सं. 08/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 73(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 22/2022-सीमाशुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 2022, जो सा.का.नि. 328(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी III में, क्रम सं. 12 के सामने, स्तंभ (5) और (6) के अधीन की गई प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः “10” और “4” प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

2. यह अधिसूचना तारीख 2 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/03/2023-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 22/2022-सीमाशुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 2022, जो सा.का.नि. 328(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 36/2022-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी, जो सा.का.नि. 489(अ), तारीख 30 जून, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2023

No. 08/2023-Customs

G.S.R. 73(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 22/2022-Customs, dated the 30th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 328(E), dated the 30th April, 2022, namely :-

In the said notification, in Table III, against S. No. 12, for the entries under columns (5) and (6), the entries, “10” and “4” shall respectively be substituted.

2. This notification shall come into force on the 2nd day of February, 2023.

[F. No. 334/03/2023-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 22/2022-Customs, dated the 30th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 328(E), dated the 30th April, 2022 and was last amended by notification No. 36/2022-Customs, dated the 30th June, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 489(E), dated the 30th June, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2023

सं. 09/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 74(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 57/2000 सीमा-शुल्क, तारीख 8 मई, 2000 जो अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 413(अ), तारीख 8 मई, 2000 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्र.सं. 1 के सामने, स्तंभ (4) में, “11.85%” और “6.1%” प्रविष्टियों के स्थान पर, “9.35%” प्रविष्टि, दोनों स्थानों पर रखी जाएगी;

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/03/2023-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 57/2000-सीमाशुल्क, तारीख 8 मई, 2000 जो संख्यांक सा.का.नि. 413(अ), तारीख 8 मई, 2000 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 48/2022 सीमाशुल्क, तारीख 7 सितंबर, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी, जो संख्यांक सा.का.नि. 688(अ), तारीख 7 सितंबर, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2023

No. 09/2023-Customs

G.S.R. 74(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 57/2000-Customs, dated the 8th May, 2000, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 413 (E), dated the 8th May, 2000, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against Sl. No. 1, in column (4), for the entries “11.85%” and “6.1%”, the entry, “9.35%”, at both the places, shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 2nd day of February, 2023.

[F. No. 334/03/2023-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 57/2000-Customs, dated the 8th May, 2000 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 413(E), dated the 8th May, 2000 and was last amended by notification No. 48/2022-Customs, dated the 7th September, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 688(E), dated the 7th September, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2023

सं.10/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 75(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 146/94- सीमा-शुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994 जो संख्यांक सा.का.नि. 575(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी में, क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ (2) में, मद XXIII. इक्वेस्ट्रेन में, उप-मद (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(7) वार्म ब्लड घोड़ा”;

- (ii) सारणी के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा;

- (iii) निम्नलिखित पैरा के अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2028 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/03/2023-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवसर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या 146/94-सीमा-शुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 575(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या 09/2022 सीमा-शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी जो संख्यांक सा.का.नि. 83(अ), तारीख 1 फरवरी, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2023

No. 10/2023-Customs

G.S.R. 75(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 146/94-Customs, dated the 13th July, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 575 (E), dated the 13th July, 1994, namely :-

In the said notification, -

- (i) in the TABLE, against S. No. 2, in column (2), in item XXIII. EQUESTRIAN, after sub-item (6), the following sub-item shall be inserted, namely: -

“(7) Warm Blood horse”;

- (ii) the Explanation, occurring after the TABLE, shall be omitted;

- (iii) the following paragraph shall be inserted at the end, namely: -

"2. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2028."

2. This notification shall come into force on the 2nd day of February, 2023.

[F. No. 334/03/2023-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note : The principal notification No. 146/94-Customs, dated the 13th July, 1994, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 575(E), dated the 13th July, 1994 and was last amended vide notification No. 09/2022-Customs, dated the 1st February, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 83(E), dated the 1st February, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2023

सं. 11/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 76(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विस्तार तक, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचना का संशोधन करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना सं. 90/2009- सीमा-शुल्क, तारीख 7 सितम्बर, 2009, संख्यांक सा. का. नि. 644(अ), तारीख 7 सितम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित	उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2028 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”
2.	अधिसूचना सं. 33/2017- सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा. का. नि. 768(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित	उक्त अधिसूचना के दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2028 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”
3.	अधिसूचना सं. 41/2017- सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा. का. नि. 776(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित	उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “परन्तु यह कि इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2028 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/03/2023-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

टिप्पण :

1. मूल अधिसूचना संख्या 90/2009-सीमा-शुल्क, तारीख 7 सितम्बर, 2009, संख्यांक सा.का.नि. 644(अ), तारीख 7 सितम्बर, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक 47/2021-सीमा-शुल्क, तारीख 30 सितम्बर, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी जो संख्यांक सा.का.नि.709(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

2. मूल अधिसूचना संख्या 33/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 768(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।
3. मूल अधिसूचना संख्या 41/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 776(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2023

No. 11/2023-Customs

G.S.R. 76(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, to the extent specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely: -

TABLE

S. No.	Notification number	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	Notification No. 90/2009-Customs, dated the 7th September, 2009 vide number G.S.R. 644 (E), dated the 7th September, 2009.	In the said notification, the following paragraph shall be inserted at the end, namely: - “2. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2028.”
2.	Notification No. 33/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 vide number G.S.R. 768 (E), dated the 30th June, 2017.	In the said notification, after second proviso, following proviso shall be inserted, namely: - “Provided also that nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2028.”
3.	Notification No. 41/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 vide number G.S.R. 776(E), dated the 30th June, 2017.	In the said notification, after the table, following proviso shall be inserted, namely: - “Provided that nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2028.”

2. This notification shall come into force on the 2nd day of February, 2023.

[F. No. 334/03/2023-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note :

1. The principal notification No. 90/2009-Customs, dated the 7th September, 2009 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 644(E), dated the 7th September, 2009 and was last amended vide notification No. 47/2021-Customs, dated the 30th September, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 709(E), dated the 30th September, 2021.
2. The principal Notification No. 33/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 768 (E), dated the 30th June, 2017.

3. The principal Notification No. 41/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 776 (E), dated the 30th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2023

सं.12/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 77(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विस्तार तक, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचना का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना सं. 16- सीमाशुल्क, तारीख 25 जनवरी, 1965, संख्यांक सा.का.नि. 126(अ) तारीख 25 जनवरी, 1965 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “परन्तु यह भी कि इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् लागू नहीं होगी।”।
2.	अधिसूचना सं. 89- सीमाशुल्क, तारीख 29 अगस्त, 1970, संख्यांक सा.का.नि. 1246(अ), तारीख 29 अगस्त, 1970 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, पहले पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।
3.	अधिसूचना सं. 46- सीमाशुल्क, तारीख 25 मई, 1974, संख्यांक सा.का.नि. 503(अ), तारीख 25 मई, 1974 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, पहले पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।
4.	अधिसूचना सं. 284- सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976, संख्यांक सा.का.नि. 617(अ), तारीख 2 अगस्त, 1976 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, पहले पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।
5.	अधिसूचना सं. 207/89-सीमाशुल्क, तारीख 17 जुलाई, 1989, संख्यांक सा.का.नि. 702(अ), तारीख 17 जुलाई, 1989 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, पहले परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् लागू नहीं होगी।”।
6.	अधिसूचना सं. 134/94-सीमाशुल्क, तारीख 22 जून, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 525(अ), तारीख 22 जून, 1994 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।

7.	अधिसूचना सं. 147/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 576(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में :- (i) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ; (ii) अंत में निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।
8.	अधिसूचना सं. 148/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 577(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।
9.	अधिसूचना सं. 151/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 580(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।
10.	अधिसूचना सं. 152/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 581(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।
11.	अधिसूचना सं. 153/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 582(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।
12.	अधिसूचना सं. 39/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, संख्यांक सा.का.नि. 291(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में:- (i) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ; (ii) अंत में निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।
13.	अधिसूचना सं. 50/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, संख्यांक सा.का.नि. 302(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, परन्तुक के पश्चात्:- (i) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ; (ii) अंत में निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् लागू नहीं होगी।”।
14.	अधिसूचना सं. 51/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, संख्यांक सा.का.नि. 303(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे पैरा में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् लागू नहीं होगी।”।

15.	अधिसूचना सं. 25/98-सीमाशुल्क, तारीख 2 जून, 1998, संख्यांक सा.का.नि. 290(अ), तारीख 2 जून, 1998 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।
16.	अधिसूचना सं. 97/99-सीमाशुल्क, तारीख 21 जुलाई, 1999, संख्यांक सा.का.नि. 727(अ), तारीख 21 जुलाई, 1999 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, पहले पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।
17.	अधिसूचना सं. 113/2003-सीमाशुल्क, तारीख 22 जुलाई, 2003, संख्यांक सा.का.नि. 572(अ), तारीख 22 जुलाई, 2003 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “3. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।
18.	अधिसूचना सं. 30/2004-सीमाशुल्क, तारीख 28 जनवरी, 2004, संख्यांक सा.का.नि. 81(अ), तारीख 28 जनवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, परन्तुक के पश्चात् :- (i) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ; (ii) निम्नलिखित परन्तुक को रखा जाएगा, अर्थात्:- “परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् लागू नहीं होगी।”।
19.	अधिसूचना सं. 45/2005-सीमाशुल्क, तारीख 16 मई, 2005, संख्यांक सा.का.नि. 318(अ), तारीख 16 मई, 2005 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, पहले परन्तुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् लागू नहीं होगी।”।
20.	अधिसूचना सं. 81/2005-सीमाशुल्क, तारीख 8 सितंबर, 2005, संख्यांक सा.का.नि. 569(अ), तारीख 8 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, पहले पैरा के पश्चात् :- (i) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ; (ii) निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।
21.	अधिसूचना सं. 102/2007-सीमाशुल्क, तारीख 14 सितंबर, 2007, संख्यांक सा.का.नि. 598(अ), तारीख 14 सितंबर, 2007 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “4. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।
22.	अधिसूचना सं. 26/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011, संख्यांक सा.का.नि. 152(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात् और उपाबंध से पूर्व, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।
23.	अधिसूचना सं. 23/2016-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च,	उक्त अधिसूचना में, पहले पैरा के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित

	2016, संख्यांक सा.का.नि. 217(अ), तारीख 1 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित।	किया जाएगा, अर्थात् :- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।
24.	अधिसूचना सं. 05/2017-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 89(अ), तारीख 2 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में :- (i) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ; (ii) निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।
25.	अधिसूचना सं. 16/2017-सीमाशुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 394(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात् :- (i) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ; (ii) निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।
26.	अधिसूचना सं. 29/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 764(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “3. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।
27.	अधिसूचना सं. 30/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 765(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “3. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।
28.	अधिसूचना सं. 32/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 767(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, (i) सारणी में, क्रम सं. 2 के सामने, स्तंभ (3) में, स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ; (ii) दूसरे पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “3. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।
29.	अधिसूचना सं. 37/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 772(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “4. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।
30.	अधिसूचना सं. 48/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 783(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “3. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।

31.	अधिसूचना सं. 49/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 784(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “4. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।
32.	अधिसूचना सं. 52/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 787(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- “3. क्रम संख्यांक 6, क्रम संख्यांक 8 और क्रम संख्यांक 10 क्रम संख्यांक के सामने प्रविष्टियों में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”।

3. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/03/2023-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

टिप्पण :

1. मूल अधिसूचना सं.-16-सीमाशुल्क, तारीख 23 जनवरी, 1965, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 779(अ) 23 जनवरी, 1965 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
2. मूल अधिसूचना सं.-80-सीमाशुल्क, तारीख 29 अगस्त, 1970, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 1246(अ), तारीख 29 अगस्त, 1970 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 44/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 779(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
3. मूल अधिसूचना सं.-46-सीमाशुल्क, तारीख 25 मई, 1974, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 503(अ), तारीख 25 मई, 1974 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 43/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 778(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
4. मूल अधिसूचना सं.-248-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी जो संख्यांक सा.का.नि. सं. 617(अ), तारीख 2 अगस्त, 1976 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
5. मूल अधिसूचना सं.-207/89-सीमाशुल्क, तारीख 17 जुलाई, 1989, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) संख्यांक सा.का.नि. 702(अ), तारीख 17 जुलाई, 1989 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 43/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 778(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
6. मूल अधिसूचना सं.-134/94-सीमाशुल्क, तारीख 22 जून, 1994, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 525(अ), तारीख 22 जून, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 43/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 778, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
7. मूल अधिसूचना सं.-147/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 576(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 9/2022-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र,

असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 67(अ), तारीख 1 फरवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

- [illegible]

- [illegible]

27. मूल अधिसूचना सं.-30/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 765(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
28. मूल अधिसूचना सं.-32/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 767(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 9/2022-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 83(अ), तारीख 1 फरवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
29. मूल अधिसूचना सं.-37/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 772(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 6/2022-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 80(अ), तारीख 1 फरवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
30. मूल अधिसूचना सं.-48/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 783(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
31. मूल अधिसूचना सं.-49/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 784(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
32. मूल अधिसूचना सं.-52/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 787(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 6/2022-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 80(अ), तारीख 1 फरवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2023

No. 12/2023-Customs

G.S.R. 77(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, to the extent specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely: -

TABLE

S. No.	Notification number	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	Notification No. 16-Cus, dated the 23rd January, 1965, published vide number G.S.R. 126 (E), dated the 23rd January, 1965	In the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: - “Provided also that nothing contained in this notification shall apply after the 31st March, 2024.”
2.	Notification No. 80-Cus, dated the 29th August, 1970, published vide number G.S.R. 1246 (E), dated the 29th August, 1970	In the said notification, the following paragraph shall be inserted, namely: - “2. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
3.	Notification No. 46/74-Cus, dated the 25th May, 1974, published vide number G.S.R. 503 (E), dated the 25th May, 1974	In the said notification, the following paragraph shall be inserted, namely: - “2. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
4.	Notification No. 248-Cus, dated the 2nd August, 1976, published vide number	In the said notification, the following paragraph shall be inserted, namely: -

	G.S.R. 617(E), dated the 2nd August, 1976	“2. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
5.	Notification No. 207/89-Customs, dated the 17th July, 1989, published vide number G.S.R. 702(E), dated the 17th July, 1989	In the said notification, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely: - “Provided further that nothing contained in this notification shall apply after the 31st March, 2024.”
6.	Notification No. 134/94-Customs, dated the 22nd June, 1994, published vide number G.S.R. 525(E), dated the 22nd June, 1994	In the said notification, after the TABLE, the following paragraph shall be inserted, namely: - “2. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
7.	Notification No. 147/94-Customs, dated the 13th July, 1994, published vide number G.S.R. 576(E), dated the 13th July, 1994	In the said notification, - (i) the Explanation shall be omitted; (ii) the following paragraph shall be inserted at the end, namely: - “2. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
8.	Notification No. 148/94-Customs, dated the 13th July, 1994, published vide number G.S.R. 577(E), dated the 13th July, 1994	In the said notification, after the TABLE, the following paragraph shall be inserted, namely: - “2. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
9.	Notification No. 151/94-Customs, dated the 13th July, 1994, published vide number G.S.R. 580(E), dated the 13th July, 1994	In the said notification, after the TABLE, the following paragraph shall be inserted, namely: - “2. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
10.	Notification No. 152/94-Customs, dated the 13th July, 1994, published vide number G.S.R. 581(E), dated the 13th July, 1994	In the said notification, after the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely: - “2. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
11.	Notification No. 153/94-Customs, dated the 13th July, 1994, published vide number G.S.R. 582(E), dated the 13th July, 1994	In the said notification, after the TABLE, the following paragraph shall be inserted, namely: - “2. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
12.	Notification No. 39/96-Customs, dated the 23rd July, 1996, published vide number G.S.R. 291(E), dated the 23rd July, 1996	In the said notification, - (i) the Explanation shall be omitted; (ii) the following paragraph shall be inserted at the end, namely: - “2. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
13.	Notification No. 50/96-Customs, dated the 23rd July, 1996, published vide number G.S.R. 302(E), dated the 23rd July, 1996	In the said notification, - (i) the Explanation shall be omitted; (ii) the following paragraph shall be inserted, namely: - “2. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
14.	Notification No. 51/96-Customs, dated the 23rd July, 1996, published vide number G.S.R. 303(E), dated the 23rd July, 1996	In the said notification, after paragraph 3, the following paragraph shall be inserted, namely: - “4. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”

15.	Notification No. 25/98-Customs, dated the 2nd June, 1998, published vide number G.S.R. 290(E), dated the 2nd June, 1998	In the said notification, after the TABLE, the following paragraph shall be inserted, namely: - “2. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
16.	Notification No. 97/99-Customs, dated the 21st July, 1999, published vide number G.S.R. 727(E), dated the 21st July, 1999	In the said notification, the following paragraph shall be inserted, namely: - “2. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
17.	Notification No. 113/2003-Customs, dated the 22nd July, 2003, published vide number G.S.R. 572(E), dated the 22nd July, 2003	In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely: - “3. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
18.	Notification No. 30/2004-Customs, dated the 28th January, 2004, published vide number G.S.R. 81(E), dated the 28th January, 2004	In the said notification, - (i) after the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: - “Provided further that nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.” (ii) the Explanation shall be omitted;
19.	Notification No. 45/2005-Customs, dated the 16th May, 2005, published vide number G.S.R. 318(E), dated the 16th May, 2005	In the said notification, after the first proviso and before the Explanation, following proviso shall be inserted, namely: - “Provided further that nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
20.	Notification No. 81/2005-Customs, dated the 8th September, 2005, published vide number G.S.R. 569(E), dated the 8th September, 2005	In the said notification, - (i) the Explanation shall be omitted; (ii) the following paragraph shall be inserted, namely: - “2. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
21.	Notification No. 102/2007-Customs, dated the 14th September, 2007, published vide number G.S.R. 598(E), dated the 14th September, 2007	In the said notification, after paragraph 3, the following paragraph shall be inserted, namely: - “4. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
22.	Notification No. 26/2011-Customs, dated the 1st March, 2011, published vide number G.S.R. 152(E), dated the 1st March, 2011	In the said notification, after the TABLE and before the ANNEXURE, the following paragraph shall be inserted, namely: - “2. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
23.	Notification No. 23/2016-Customs, dated the 1st March, 2016, published vide number G.S.R. 217(E), dated the 1st March, 2016	In the said notification, the following paragraph shall be inserted, namely: - “2. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
24.	Notification No. 05/2017-Customs, dated the 2nd February, 2017, published vide number G.S.R. 89(E), dated the 2nd February, 2017	In the said notification, - (i) the Explanation shall be omitted; (ii) the following paragraph shall be inserted, namely: - “2. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
25.	Notification No. 16/2017-Customs, dated the 20th April, 2017, published vide number G.S.R. 394(E), dated the 20th April, 2017	In the said notification, - (i) the Explanation shall be omitted; (ii) the following paragraph shall be inserted, namely: - “2. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”

26.	Notification No. 29/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published vide number G.S.R. 764(E), dated the 30th June, 2017	In the said notification, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely: - “3. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
27.	Notification No. 30/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published vide number G.S.R. 765(E), dated the 30th June, 2017	In the said notification, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely: - “3. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
28.	Notification No. 32/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published vide number G.S.R. 767(E), dated the 30th June, 2017	In the said notification, - (i) in the TABLE, against serial number 2, in column (3), the Explanation shall be omitted; (ii) after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely: - “3. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
29.	Notification No. 37/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published vide number G.S.R. 772(E), dated the 30th June, 2017	In the said notification, after paragraph 3, the following paragraph shall be inserted, namely: - “4. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
30.	Notification No. 48/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published vide number G.S.R. 783(E), dated the 30th June, 2017	In the said notification, after paragraph 2, following paragraph shall be inserted, namely: - “3. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2023.”
31.	Notification No. 49/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published vide number G.S.R. 784(E), dated the 30th June, 2017	In the said notification, after paragraph 3, following paragraph shall be inserted, namely: - “4. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2024.”
32.	Notification No. 52/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published vide number G.S.R. 787(E), dated the 30th June, 2017	In the said notification, after paragraph 2, following paragraph shall be inserted, namely: - “3. Nothing contained in the entries against serial numbers 6,8 and 10 shall have effect after the 31st March, 2024.”

2. This notification shall come into force on the 2nd day of February, 2023.

[F. No. 334/03/2023-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note :

1. The principal notification No. 16-Customs, dated the 23rd January, 1965 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 126 (E), dated the 23rd January, 1965.
2. The principal notification No. 80-Customs, dated the 29th August 1970 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1246 (E), dated the 29th August, 1970 and was last amended vide notification No. 44/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 779(E), dated the 30th June, 2017.
3. The principal notification No. 46-Customs, dated the 25th May, 1974 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 503 (E) dated the 25th May, 1974 and was last amended vide notification No. 43/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 778(E), dated the 30th June, 2017.
4. The principal notification No. 248-Customs, dated the 2nd August, 1976 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 617(E), dated the 2nd August, 1976.

5. The principal notification No. 207/89-Customs, dated the 17th July, 1989 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 702(E) dated the 17th July, 1989 and was last amended vide notification No. 43/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 778(E), dated the 30th June, 2017
6. The principal notification No. 134/94-Customs, dated the 22nd June, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 525(E), dated the 22nd June, 1994 and was last amended vide notification No. 43/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 778(E), dated the 30th June, 2017.
7. The principal notification No. 147/94-Customs, dated the 13th July, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 576(E), dated the 13th July, 1994 and was last amended vide notification No. 9/2022-Customs, dated the 1st February, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 67(E), dated the 1st February, 2022
8. The principal notification No. 148/94-Customs, dated the 13th July, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 577(E), dated the 13th July, 1994 and was last amended vide notification No. 8/2022-Customs, dated the 1st February, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 82(E), dated the 1st February, 2022.
9. The principal notification No. 151/94-Customs, dated the 13th July, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 580(E), dated the 13th July, 1994 and was last amended vide notification No. 43/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 778(E), dated the 30th June, 2017
10. The principal notification No. 152/94-Customs, dated the 13th July, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 581(E), dated the 13th July, 1994 and was last amended vide notification No. 44/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 779(E), dated the 30th June, 2017.
11. The principal notification No. 153/94-Customs, dated the 13th July, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 582(E), dated the 13th July, 1994 and was last amended vide notification No. 8/2021-Customs, dated the 1st February, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 66(E), dated the 1st February, 2021
12. The principal notification No. 39/96-Customs, dated the 23rd July, 1996 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 291(E), dated the 23rd July, 1996 and was last amended vide notification No. 9/2022-Customs, dated the 1st February, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 83(E), dated the 1st February, 2022
13. The principal notification No. 50/96-Customs, dated the 23rd July, 1996 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 302(E), dated the 23rd July, 1996 and was last amended vide notification No. 9/2022-Customs, dated the 1st February, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 83 (E), dated the 1st February, 2022.
14. The principal notification No. 51/96-Customs, dated the 23rd July, 1996 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 303(E), dated the 23rd July, 1996 and was last amended vide notification No. 43/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 778 (E), dated the 30th June, 2017.
15. The principal notification No. 25/98-Customs, dated the 2nd June, 1998 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 290(E), dated the 2nd June, 1998 and was last amended vide notification No. 57/2021-Customs, dated the 29th December, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 906 (E), dated the 29th December, 2021.
16. The principal notification No. 97/99-Customs, dated the 21st July, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 544(E), dated the 21st July, 1999 and was last amended vide notification No. 26/2017-Customs, dated the 29th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 727(E), dated the 29th June, 2017.
17. The principal notification No. 113/2003-Customs, dated the 22nd July, 2003 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 572(E), dated the 22nd July, 2003 and was last amended vide notification No. 118/2007-Customs, dated the 17th December, 2007 published in the

- Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 773(E), dated the 17th December, 2007
18. The principal notification No. 30/2004-Customs, dated the 28th January, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 81(E), dated the 28th January, 2004 and was last amended vide notification No. 9/2022-Customs, dated the 1st February, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 83(E), dated the 1st February, 2022
 19. The principal notification No. 45/2005-Customs, dated the 16th May, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 318(E), dated the 16th May, 2005 and was last amended vide notification No. 18/2011-Customs, dated the 1st March, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 144(E), dated the 1st March, 2011
 20. The principal notification No. 81/2005-Customs, dated the 8th September, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 569(E), dated the 8th September, 2005 and was last amended vide notification No. 9/2022-Customs, dated the 1st February, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 83(E), dated the 1st February, 2022
 21. The principal notification No. 102/2007-Customs, dated the 14th September, 2007 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 598(E), dated the 14th September, 2007 and was last amended vide notification No. 42/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 777(E), dated the 30th June, 2017
 22. The principal notification No. 26/2011-Customs, dated the 1st March, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 152(E), dated the 1st March, 2011 and was last amended vide notification No. 43/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 778(E), dated the 30th June, 2017
 23. The principal notification No. 23/2016-Customs, dated the 1st March, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 217(E), dated the 1st March, 2016.
 24. The principal notification No. 05/2017-Customs, dated the 2nd February, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 89(E), dated the 2nd February, 2017 and was last amended vide notification No. 9/2022-Customs, dated the 1st February, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 83(E), dated the 1st February, 2022
 25. The principal notification No. 16/2017-Customs, dated the 20th April, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 394(E), dated the 20th April, 2017 and was last amended vide notification No. 9/2022-Customs, dated the 1st February, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 83(E), dated the 1st February, 2022
 26. The principal notification No. 29/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 764(E), dated the 30th June, 2017.
 27. The principal notification No. 30/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 765(E), dated the 30th June, 2017.
 28. The principal notification No. 32/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 767(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended vide notification No. 9/2022-Customs, dated the 1st February, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 83(E), dated the 1st February, 2022
 29. The principal notification No. 37/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 772(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended vide notification No. 6/2022-Customs, dated the 1st February, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 80(E), dated the 1st February, 2022
 30. The principal notification No. 48/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 783(E), dated the 30th June, 2017.

31. The principal notification No. 49/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 784(E), dated the 30th June, 2017.
32. The principal notification No. 52/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 787(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended vide notification No. 6/2022-Customs, dated the 1st February, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 80(E), dated the 1st February, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2023

सं. 05/2023-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 78(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उत्पाद-शुल्क अधिनियम' कहा गया है) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के टैरिफ मद 27112100 के अधीन आने वाली संपीड़ित प्राकृतिक गैस (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'सीएनजी' कहा गया है), जब बायोगैस या संपीड़ित बायोगैस (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'सीबीजी' कहा गया है), के साथ मिश्रित की जाती है, ऐसी मिश्रित सीएनजी में अंतर्विष्ट बायोगैस या सीबीजी पर संदत्त केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर पर उद्गृहीत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की उतनी रकम पर, नीचे उपाबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट प्रदान करती है।

उपाबंध

शर्तें
ऐसी मिश्रित सीएनजी का विनिर्माता:
(i) रजिस्ट्रीकृत परिसरों में सीएनजी के साथ मिश्रित बायोगैस या सीबीजी की मात्रा और उसके मूल्य के रिकार्डों के विस्तृत ब्यौरे को बनाए रखेगा।
(ii) आने वाले प्रत्येक तिमाही के बाद की 10 तारीख को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के अधिकारिता वाले आयुक्त को कानूनी संपरीक्षक द्वारा सत्यापित किए गए सुलह संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा; और
(iii) ऐसी सुलह के पश्चात् लागू ब्याज के साथ उत्पाद-शुल्क की अल्पकालिक संदत्त ड्यूटी का भुगतान करेगा।

स्पष्टीकरण.— इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या एकीकृत कर" का अर्थ है केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबंधित राज्य का राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्य क्षेत्र कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अधीन उद्गृहीत क्रमशः केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/03/2023-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2023

No. 05/2023 -Central Excise

G.S.R. 78(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the 'Excise Act'), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Compressed Natural Gas (hereinafter referred to as 'CNG'), falling under tariff item 2711 21 00 of the Fourth Schedule to the Excise Act, when blended with Biogas or

Compressed Biogas (hereinafter referred to as 'CBG'), from so much of the duty of excise leviable thereon the amount of central tax, State tax, Union territory tax or integrated tax, as the case may be, paid on the Biogas or CBG contained in such blended CNG, subject to conditions specified in the Annexure below.

Annexure

Conditions
Manufacturer of such blended CNG shall: (i) maintain detailed records regarding the quantum of Biogas or CBG blended with CNG, along with the value thereof, at the registered premises; (ii) submit a reconciliation statement, certified by the statutory auditor to the jurisdictional Commissioner of Central Excise by 10th of the month following every quarter; and (iii) pay the short-paid duty of excise along with applicable interest after such reconciliation.

Explanation. - For the purpose of this notification, "central tax, State tax, Union territory tax or integrated tax " means the central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax leviable under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), State Goods and Services Tax Act of the State concerned, the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), and the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) respectively.

2. This notification shall come into force on the 2nd day of February, 2023.

[F. No. 334/03/2023-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.